

वदियुतीकरण गाँव की परभाषा में बदलाव की ज़रूरत नहीं: वदियुत मंत्रालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वदियुतीकृत गाँव की परभाषा को लेकर हुई तमाम आलोचनाओं के बावजूद वदियुत मंत्रालय ने कहा है कि सरकार वर्तमान वदियुतीकृत गाँव की आलोचनात्मक परभाषा को संशोधित नहीं कर रही है ध्यातव्य है कि एक गाँव को वदियुतीकृत तब माना जाता है जब उस गाँव के कम-से-कम 10% घरों में बजिली कनेक्शन हो।

वदियुतीकृत गाँव की परभाषा क्या है?

एक वदियुतीकृत गाँव को नमिन आधारों पर परभाषित किया जा सकता है:

1. नवास योग्य स्थान पर बुनयादी ढाँचे के प्रावधान जैसे-वतिरण ट्रांसफॉर्मर और आसपास के इलाकों में लाइनों की सुवधि।
2. सार्वजनिक स्थानों जैसे- स्कूलों, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों और सामुदायिक केंद्रों में बजिली की उपलब्धता।
3. गाँव के परिवारों की कुल संख्या में से कम से कम 10% के पास वदियुत कनेक्शन हो।
4. ध्यातव्य है कि अक्टूबर, 1997 में स्थापित इसी परभाषा के अनुसार एक गाँव की पहचान वदियुतीकृत गाँव के रूप में की जाती है।

ग्रामीण वदियुतीकरण से जुड़े मुद्दे

- बुनयादी ढाँचे और गाँव के कुछ सार्वजनिक केंद्रों के वदियुतीकरण के अलावा, गाँव के कुल परिवारों की संख्या में से केवल 10% परिवारों के पास वदियुत कनेक्शन होने के आधार पर एक गाँव को वदियुतीकृत माना जाता है, भले ही 90% परिवारों के पास बजिली कनेक्शन न हो।
- हालाँकि, भारत ने अब पूर्ण वदियुतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है लेकिन भारत के ग्रामीण परिवारों (अनुमानित 31 मिलियन) का लगभग पाँचवा हिस्सा अभी भी बजिली की सुवधि से वंचित है।
- यहाँ तक की अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में अंधेरे में रहने वालों की संख्या 13 मिलियन से अधिक है।
- इसके अलावा, आधिकारिक आँकड़ों में कई गाँवों को वदियुतीकरण माना जाता है, कति वहाँ शकियतें दर्ज की गई हैं कि गाँवों की अनदेखी के कारण ट्रांसमिशन तारों जैसे प्रमुख घटक के चोरी की घटनाएँ भी बढ़ गई हैं।
- हालाँकि, सरकार का कहना है कि पुराने ग्रामीण वदियुतीकरण की परभाषा में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सौभाग्य योजना के माध्यम से पूर्ण वदियुतीकरण और हर घर तक बजिली की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सौभाग्य योजना क्या है?

- सौभाग्य योजना का शुभारंभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू वदियुतीकरण सुनिश्चित करने के लिये किया गया।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को मिलेगा, जबकि राज्य अपने कोष से 10% धन खर्च करेंगे और शेष 30% राशियों से बतौर ऋण के रूप में प्राप्त करना होगा।
- विशेष राज्यों के लिये केंद्र सरकार योजना का 85% अनुदान देगी, जबकि राज्यों को अपने पास से केवल 5% धन लगाना होगा और शेष 10% बैंकों से कर्ज़ लेना होगा।
- ऐसे सभी चार करोड़ नरिधन परिवारों को बजिली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, जिनके पास अभी कनेक्शन नहीं है।
- इस योजना का लाभ गाँव के साथ-साथ शहर के लोगों को भी मिलेगा।
- ये मुफ्त बजिली कनेक्शन गरीब परिवारों को 2018 तक प्रदान किये जाएंगे।
- केंद्र सरकार द्वारा बैटरी सहित 200 से 300 वाट क्षमता का सोलर पावर पैक दिया जाएगा, जिसमें हर घर के लिये 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा भी शामिल है।
- बजिली के इन उपकरणों की देख-रेख 5 सालों तक सरकार अपने खर्च पर करवाएगी।
- बजिली कनेक्शन के लिये 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना जाएगा। जो लोग इस जनगणना में शामिल नहीं हैं, उन्हें 500 रुपए में कनेक्शन दिया जाएगा और इसे 10 कशितों में वसूला जाएगा।
- सभी घरों को बजिली पहुँचाने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया जाएगा।

